न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 7/19 GCMS NO 2019/00012

1. चिरंजीलाल
2. दीपचंद पुत्रान रामकिशोर जातियान तेली निवासीयान गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. दामोदर
2. रामअवतार पुत्रान रामकिशोर जातियान तेली निवासीयान गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली
3. पूनी देवी पत्नि रामकिशोर (मृतक)
4. द्रोपती पुत्री रामकिशोर
5. गुडडी पुत्री रामकिशोर जातियांन तेलीयान निवासीयान गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली
6. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार नादौती जिला करौली

रैस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 30/14 निर्णय दिनांक 2.1.2019 न्यायालय उप जिला कलक्टर, नादौती)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 6 की और से श्री प्रीतम चौधरी

दिनांक 26.5.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय दिनांक 2.1.2019 न्यायालय उप जिला कलक्टर, नादौती पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायल/रेस्पो0 संख्या 6 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि भूमि हाल खसरा न0 3064 रकबा 0.21 है0, 3065 रकबा 0.60 है0, 3069 रकबा 0.48 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0 वाकेतन ग्राम गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती मे स्थित है। जो सायल के कब्जे काश्त की भूमि है। जिसके साबिक खसरा न0 417 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा, 4[illegible] 3 बीघा 10 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 11 विस्वा है जो [illegible] पहचानी जाने वाली भूमि है। जो दिनांक 1.7.77 से प्रार्थी [illegible] उपयोग,उपभोग मे [illegible] एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वर्तमान मे भी है। जिस पर सायल का बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजीयात सायल को जरिये दानपत्र से खटकूली पुत्री भोला सिकलीगर (खंगार) निवासी गुढाचन्द्रजी से दान मे मिली है। जिसे सायल को खटकूली द्वारा पुण्यार्थ दान मे दी गई भूमि है। भोल्या के दो संतान थी, एक चौथ्या दूसरी खटकूली । दोनो भाई बहिन थे। चौथ्या लाऔलाद फौत हुआ जिसने ग्राम धौलेटा मे रहने वाले भाईबंधो मे से रामजीलाल को अपने अंतिम कियाकर्म हेतु दत्तक ग्रहण किया उसकी भी राय ली गई व दान पत्र पर रामजीलाल के हस्ताक्षर कराये गये। इस प्रकार सायल को चौथ्या के नाम खातेदारी जो खटकूली की खातेदारी पैतृक भूमि थी जिसे खटकूली व चौथ्या के दत्तक पुत्र रामजीलाल द्वारा दिनांक 1.7.77 को सायल को दानकर अंगूठा निशानी गवाहो के समक्ष साक्षी कराई गई। तभी से उक्त भूमि पर सायल के कब्जे मे है। खटकूली का देहान्त हो जाने के बाद दिनांक 13.11.96 को रामजीलाल के मन मे बदनियती आ गई और रामजीलाल ने गुपचुप तरीके से उक्त भूमि की खातेदारी जरिये नामा० संख्या 268 से अपने नाम करवा ली एवं गैरसायल संख्या 2 के नाम विकय पत्र तस्दीक करवा दिया। जबकि रामजीलाल के दानपत्र पर दिनांक 1.7.77 को दान पत्र बाबत उक्त भूमि पर हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार रामजीलाल द्वारा तस्दीक कराया गया विकय पत्र बेनाम नल एण्ड बोईड है जो कानून की दृष्टि से एक ही भूमि को दो जगह ट्रासफर नही कर सकते। उक्त भूमि पर रामजीलाल ने गैरसायल न0 2 को कब्जा भी नही दिया है। उक्त भूमि विवादित भूमि अपने नाम खातेदारी कराने का सायल ने जिला कलेक्टर के यहॉ आवेदन किया जिसका जबाब प्रतिवेदन तहसीलदार नादौती जो गैरसायल न0 1 है के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया जिसमे उक्त भूमि पर सायल का ही कब्जा बताया गया और आज भी संस्था का कब्जा है। जिसे अपने नाम खातेदारी कराने का सायल अधिकार रखता है। उपरोक्त भूमि से संबंधित मुकदमा गैरसायल संख्या 2 द्वारा अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर मे दायर किया था जो जरिये अपील मे गैरसायल न0 2 के मुकदमे को रिमाण्ड करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन को पुनः न्यायालय मे दोनो पक्षो को सुनवाई करते हुए भेज दिया जो दिनांक 24.2.04 को सायल जो दावे मे गैरसायल संख्या 2 की गैर मौजूदगी मे अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हुआ जिसे आज दिन तक पुनः नम्बर पर नही लिया गया है। गैरसायल न0 2 ने गैरसायल संख्या 1 से साज कर दिनांक 17.9.12 को अपने नाम मुताबिक विकय पत्र के नामा० दर्ज कराने हेतु तहसीलदार नादौती से सायल की अनुपस्थिति बताकर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए मिलीभगत से दिनांक 25.6.14 को गैरसायल न0 2 के नामा० आदेश जारी कर दिये गये। जबकि सायल की तरफ से समस्त प्रकार के दस्तावेज व जबाब तहसीलदार को पेश कर दिया गया था। गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो सायल को भारी क्षति होगी और गैरसायल न0 2 अपने नाम उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम करा लेगा। जिससे सायल के हितो पर विपरीत प्रभाव पडेगा जबकि उक्त भूमि पर सायल का कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश [illegible] गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि [illegible] 0.21 है0, 3065 रकबा 0.60 है0 , 3069 रकबा 0.4[illegible] रकबा 1.29 है0 वाकेतन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

किता 3 रकबा 1.29 है0 ...

Scanned with CamScanner

गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती के रिकार्ड मे किसी प्रकार की कोई हेराफेरी ना करे रिकार्ड एवं मौके की दावे के निस्तारण तक यथास्थिति बनाई रखे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायल/रेस्पो0 संख्या 6 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/रेस्पो0 संख्या 6 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/ गैरसायल न0 2 के पुत्रगण चिरंजीलाल व दीपचंद द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि को दान मे प्राप्त हुई भूमि मानकर प्रार्थी की टीआई प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने मे भारी भूल की है। स्वर्गीय चौथ्या के पुत्र संतान नही होने के कारण रामजीलाल को गोद ले लिया व रजिस्टर्ड गोदपत्र दिनांक 10.7.75 को पंजीयन करा दिया। गोद के समय से ही रामजीलाल दत्तक पुत्र चौथ्या विवादित आराजीयांत कृषि भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2070 मे खसरा न0 3064,3065,3069 मे फसल बाजरा दर्ज है। जो संलग्न नकल खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है। भू प्रबंध विभाग ने नये खसरा न0 3064 व 3065 बनाये है। इनका कोई दान पत्र रा0उ0मा0 विधालय गुढाचन्द्रजी के हक मे निष्पादित नही किया है यदि प्रार्थी विपक्षी संख्या 6 दान पत्र की लिखावट पर रामजीलाल के हस्ताक्षर होना बतलाता है तो वह फर्जी हस्ताक्षर है जो कूटरचित दस्तावेज है जिसके द्वारा अपीलांट की जमीन को बदनियती पूर्वक हडपने की नियत से कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है रेस्पो0 संख्या 6 वादी प्रार्थी द्वारा वाद पत्र व टी आई प्रार्थना पत्र कतई गलत तथ्यो के साथ झूठा दावा टी आई पेश जो प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। इस पर भी गौर न करके अधिनस्थं न्यायालय ने टी आई मे यथास्थिति का आदेश देने मे भारी भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अनरजिस्टर्ड अनस्टाम्पड तहरीर को साक्ष्य मे ग्रहण किये जाने का प्रावधान कानून मे नही है इस कारण भी दान पत्र को दस्तावेज नही माना जा सकता है। अपीलांट के पिता द्वारा उक्त रजिस्टर्ड कय की भूमि है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात पर यथास्थिति कायम करने मे भारी भूल की है। माननीय न्यायालय अपर जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा पारित आदेश 10.9.82 मे विवादित आराजीयात का मालिक रामजीलाल दत्तक पुत्र चौथ्या को माना है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षैत्र से हटकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि लगातार काश्त होती चली आ रही है। जिसकी खसरा गिरदावरी का सं... ...फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि को सार्वजनिक हित मे काम मे ... ...की है। प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति ... ...के पक्ष मे नही है फिर भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

टी आई स्वीकार करने मे भारी भूल की है। उक्त आराजी को लेकर पूर्व मे पक्षकारान के मध्य दावा निर्णित होकर न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के आदेश की पालना मे सक्षम न्यायालय से निर्णित किया जा चुका है। इसके अलावा ए डी एम सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.9.82 के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। प्रार्थी द्वारा पुनः नवीन टी आई प्रार्थना पत्र पेश करने के उपरान्त विधि के प्रतिकूल जाकर उक्त टी आई स्वीकार कर भारी भूल की है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर सायल द्वारा प्रस्तुत टी आई प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि भूमि हाल खसरा न0 3064 रकबा 0.21 है0, 3065 रकबा 0.60 है0, 3069 रकबा 0.48 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0 वाकेतन ग्राम गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती मे स्थित है। जो रेस्पो/सायल के कब्जे काश्त की भूमि है। जिसके साबिक खसरा न0 417 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा, 420 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 11 विस्वा है। जो दिनांक 1.7.77 से रेस्पो/ सायल के कब्जे काश्त उपयोग,उपभोग मे रही है एवं वर्तमान मे भी है। जिस पर रेस्पो/सायल का बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजीयात रेस्पो/सायल को जरिये दानपत्र से खटकूली पुत्री भोला सिकलीगर (खंगार) निवासी गुढाचन्द्रजी से दान मे मिली है। जिसे रेस्पो/सायल को खटकूली द्वारा पुण्यार्थ दान मे दी गई भूमि है। भोल्या के दो संतान थी, एक चौथ्या दूसरी खटकूली । दोनो भाई बहिन थे। चौथ्या लाऔलाद फौत हुआ जिसने ग्राम धौलेटा मे रहने वाले भाईबंधो मे से रामजीलाल को अपने अंतिम कियाकर्म हेतु दत्तक ग्रहण किया उसकी भी राय ली गई व दान पत्र पर रामजीलाल के हस्ताक्षर कराये गये। इस प्रकार रेस्पो/सायल को चौथ्या के नाम खातेदारी जो खटकूली की खातेदारी पैतृक भूमि थी जिसे खटकूली व चौथ्या के दत्तक पुत्र रामजीलाल द्वारा दिनांक 1.7.77 को सायल को दानकर अंगूठा निशानी गवाहो के समक्ष साक्षी कराई गई। तभी से उक्त भूमि पर रेस्पो/सायल के कब्जे मे है। खटकूली का देहान्त हो जाने के बाद दिनांक 13.11.96 को रामजीलाल के मन मे बदनियती आ गई और रामजीलाल ने गुपचुप तरीके से उक्त भूमि की खातेदारी जरिये नामा0 संख्या 268 से अपने नाम करवा ली एवं गैरसायल संख्या 2 के नाम विकय पत्र तस्दीक करवा दिया। जबकि रामजीलाल के दानपत्र पर दिनांक 1.7.77 को दान पत्र बाबत उक्त भूमि पर हस्ताक्षर किये थे। जिसके बाबजूद भी अपीलांट द्वारा कूटरचित रूप से उक्त विवादित भूमि का नामा0 अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिसको नल एण्ड बाईड किया जाना कानूनन विधि संगत है। विवादित आराजीयात सार्वजनिक हित मे विधालय के काम आ रही है। जिसमे छात्र/छात्राऐ अध्ययन कर रही है। रामजीलाल द्वारा कूटरचित नामा0 की आड मे यदि भूमि का [illegible] जाता है तो विधालय के छात्र/छात्रोओ को काफी असुविधा होगी जिसकी पूर्ति [illegible] संभव नही हो सकेगा। विवादित भूमि को रामजीलाल द्वारा अपनी [illegible] समय ही दान किया गया था जिस पर स्वयं रामजीलाल द्वारा [illegible] किये गये है इस प्रकार जब उस भूमि का दान हो चुका है तो पुनः रामजीलाल उस भूमि की खातेदारी अपने नाम किस प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करा सकता है। रामजीलाल द्वारा गुपचुप तरीके से उक्त भूमि को अपीलांट के पिता को बेचान किया गया है जो विक्रय पत्र शुरू से ही प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है क्योकि उक्त भूमि का पूर्व मे दान पत्र हो चुका है जिसके बाबजूद रामजीलाल द्वारा गुपचुप तरीके से विक्रय पत्र तस्दीक कराया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/रेस्पो0 के पक्ष मे प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति साबित होने एवं भूमि सार्वजनिक हित मे काम आने के कारण ही सायल/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होनें से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात का पूर्व खातेदार भोल्या था जिसके दो संतान चौथ्या दूसरी खटकूली थी। दोनो भाई बहिन थे। चौथ्या लाऔलाद फौत हुआ। विवादित आराजीयात को खटूकली द्वारा रेस्पो0 को दिनांक 1.7.77 को दान कर दी गई। खटकूली द्वारा दान की गई भूमि के बाबत सहमति स्वरूप खटकूली के दत्तक भाई रामजीलाल की सहमति ली जाकर सहमति स्वरूप उसके हस्ताक्षर दान पत्र पर करवाये गये है। चूकिः भूमि का दान आपसी सहमति से विधालय के लिए की गई है। जिसे काफी लम्बा समय हो चुका है। उक्त भूमि वर्तमान मे भी विधालय के काम आ रही है जिसमे छात्र छात्राये अध्ययरत है। जो एक सार्वजनिक हितार्थ काम आ रही है। भूमि पर विधालय का कब्जा है जिस पर दिनांक 1.7.77 से फसल काश्त नही होने के कारण भूमि कृषि योग्य नही रही है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा नही होने से अपीलांट का प्राईमाफेसी केस साबित नही होता है एवं कब्जे के अभाव मे किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना नही है। उपरोक्त विवेचन से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती के मु0नं0 30/14 मे पारित निर्णय दिनांक 2.1.2019 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner